न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 37/2018

अनवान : –

1. अहिल्या पत्नी रामकिशोर मेघवाल साकिन नोहर तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. डालचन्द पुत्र मोमनराम बाल्मिकी साकिन वार्ड न0 3 बाल्मिकी मोहल्ला नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 25/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के ख0न0 101 की कुल 5.3740 हैक्ट तथा ख0न0 102 की 7 हिस्सा भूमि सायला की खातेदारी भूमि है जिसमें से सायला की 2.390 हैक्ट भूमि है व गैरसायल, सायल के चिपते हुए निवास करते है तथा बदमाश व झगड़ालु प्रवृति है एवं सायला की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण करना चाहते है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायला को होगी। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कस्बा नोहर तहसील नोहर के ख0न0 101 की कुल 5.3740 हैक्ट तथा ख0न0 102 की 7 हिस्सा भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि में सायला के कब्जा काश्त में दखल बैजा न करे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की सायला ने अपने हक हिस्सा की भूमि को जरिये इकरारनामा बैचान कर दिया है एवं मौके पर एक इंच भूमि काश्त योग्य नही है समस्त भूमि में आवासीय कॉलोनी विकसित हो चुकी है तथा सायला ने न्यायालय हाजा से समस्त तथ्यों को छुपाया है सायला स्वयं गैरसायल स0 1 की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहती है सायला के समस्त हिस्से पर पक्के मकान, सड़के, स्कूल आदि [illegible] प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:52:40 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी [illegible] पत्रावली का अवलोकन [illegible] एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीया के नाम दर्ज खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी स0 1 द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है लेकिन अप्रार्थी द्वार प्रस्तुत इकरारनाम की चित्रप्रति के अनुसार प्रार्थीय स्वयं द्वारा उक्त भूमि को भूखण्डो में बेचान किया गया है अर्थात प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना क्लीन हैण्ड पेश नही किया गया है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 01.05.2018 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:52:40 IST
Reason: SelfAttested